

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540, 25275320
तार : यूनिवर्सिटी
फेक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन
इन्दौर-452001

क.:संविक/वि.छा.स./दु.स./आर्थि.स-27/2023-24/ दिनांक

26 SEP 2023

488

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाएँ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर।

2. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला इन्दौर/खंडवा/खरगोन/धार/झाबुआ/बडवानी/बुरहानपुर/अलीराजपुर।

विषय:- सत्र 2023-24 में विकलांग छात्र सहायता/छात्र दुर्घटना सहायता, छात्र
आर्थिक सहायता के आवेदन बाबद।
महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत, सत्र 2023-24 में आपके
अध्ययनशाला/महाविद्यालय में अध्ययनरत् पात्र छात्र/छात्राओं से संलग्न निर्धारित
आवेदन पत्र/सप्रमाण पत्र जानकारी सहित दिनांक 31-12-2023 तक
अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर,
समय पर उचित कार्यवाही की जा सके। अंतिम दिनांक 31-12-2023 के पश्चात
भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

नोट:- कृपया निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखें:

- आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य किया जावेगा।
- निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्र अमान्य किया जावेगा।
- छात्र/छात्राओं को किसी अन्य स्रोत से इससे संबंधित आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, कृपया सुनिश्चित किया जाये।
- उक्त संबंधित जानकारी गलत पाएँ जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी आपके महाविद्यालय/अध्ययन शाला की होगी।
- अपूर्ण अथवा वांछित से अधिक आय वाले आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित न करें। उपरोक्त से संबंधित विस्तृत जानकारी अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।

अतः आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्रों के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कर निर्धारित समय सीमा में भेजे, अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य होंगे। (विकलांग/छात्र दुर्घटना/आर्थिक सहायता नियम की प्रति संलग्न हैं।)

संलग्न:-

1. विकलांग छात्र सहायता हेतु आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र सहित।
2. छात्र दुर्घटना सहायता हेतु आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र सहित।
3. आर्थिक सहायता हेतु आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र सहित।

भवदीय,

कुलसचिव

विकलांग छात्र सहायता के आवश्यक नियम:

विश्वविद्यालय स्तर पर केन्द्रीय शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा की परिधि में मान्य, विकलांग नियमित छात्रों को विश्वविद्यालय प्रति वर्ष निम्न कार्यों के लिए सहायता स्वीकृत करता है।

- 1 पात्रानुसार विश्वविद्यालय से विकलांग छात्र सहायता दी जायेगी।
निम्नलिखित छात्र उक्त सहायता के पात्र होंगे:-
- 2 जो विश्वविद्यालय अध्ययनशाला अथवा महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं।
- 3 जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय वर्तमान में 1,50,000/-) रु. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक न हो, सेवा योजक का प्रमाण-पत्र आवश्यक एवं वर्तमान सत्र 2023-24 का आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 4 इसी प्रकार विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर,सांस्कृतिक कार्यक्रम,प्रदर्शनी,नाटक अथवा ऐसे कार्य जो विकलांग छात्रों के लिए शैक्षिक उपयोगी एवं शिक्षाप्रद हो, हेतु आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। इसके लिए प्राचार्य/विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष के माध्यम से निवेदन करना होगा।
- 5 सहायता धनराशि केवल मांग करने की स्थिति में स्वीकृत की जा सकेगी।

छात्र दुर्घटना सहायता के आवश्यक नियम:

विश्वविद्यालय में वर्ष 1980-81 से छात्र दुर्घटना सहायता कोष स्थापित है इसमें विश्वविद्यालयीन अध्ययनशालाओं/महाविद्यालयों में नियमित प्रवेश प्राप्त छात्र दुर्घटनावश यदि किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध है। विद्यार्थी को नियमित होने के साथ ही पिता/पालक की वार्षिक आय वर्तमान में रु. 1,50,000/- (रु.एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक न हो, सेवा योजक का प्रमाण-पत्र आवश्यक एवं वर्तमान सत्र 2023-24 का आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

- 1 सहायता का इच्छुक छात्र किसी दुर्घटना के फलस्वरूप शारीरिक रूप से आहत हुआ हो।
- 2 दुर्घटना का संबंध ऐसी मारपीट,हिंसक आंदोलन अथवा झगड़े से न हो, जिसमें आवेदक छात्र स्वयं संबंधित हो।
- 3 दुर्घटना के फलस्वरूप शारीरिक आघात पहुंचा हो।
- 4 दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर।
- 5 दुर्घटना की पुलिस में रिपोर्ट की गई हो।

नोट:- अन्य जानकारी के लिए छात्र कल्याण विभाग में अधिष्ठाता से संपर्क कर संपूर्ण विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

छात्र आर्थिक सहायता के आवश्यक नियम:

- सत्र में एक बार आर्थिक सहायता (बशर्ते किसी अन्य स्रोत से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती हो)
- आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य किया जावेगा।
- निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्र अमान्य किया जावेगा।
- छात्र/छात्राओं को किसी अन्य स्रोत से इससे संबंधित आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, कृपया सुनिश्चित किया जाये।
- उक्त संबंधित जानकारी गलत पाए जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी आपके महाविद्यालय/अध्ययन शाला की होगी।
- अपूर्ण अथवा वांछित से अधिक आय वाले आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रहित न करें।
- पालक यानि पिता की मृत्यु होने पर सहायता की पात्रता होगी तथा पिता की मृत्यु के पश्चात माता की भी मृत्यु होने पर भी सहायता की पात्रता होगी तथा पिता/पालक की वार्षिक आय एक लाख पचास हजार से अधिक होने पर पात्रता नहीं होगी।

अतः आवेदन-पत्र संलग्न प्रपत्रों के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कर निर्धारित समय सीमा में भेजें, अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य होंगे।

नोट:-छात्र/छात्राओं को अन्यत्र किसी संस्थान या मध्यप्रदेश शासन से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता मिलने पर विश्वविद्यालय से आर्थिक सहायता की पात्रता नहीं होगी।

पृष्ठा.क.:संवि.क./वि.छा.स./दु.स./आर्थि.स-27/2023-24/488

प्रतिलिपि:-

01 कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि.,इन्दौर।

दिनांक 26 SEP 2023

अधिष्ठाता छात्र-कल्याण

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
छात्र आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-2024



फोटो

क.	आवेदन का नाम	जानकारी	रिमार्क
1.	आवेदक का नाम		
2.	आवेदक का पूरा पता (दूरभाष नम्बर तथा मोबाईल नम्बर)		
3.	पिता/पालक का नाम		
4.	पिता/पालक का व्यवसाय नौकरी सरकारी/गैर सरकारी स्पष्ट करें।		
5.	पिता/पालक के कार्यालय का पता		
6.	पिता/पालक की वार्षिक आय (तहसीलदार अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिकारी/कर्मचारी होने पर कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरित सील सहित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)		
7.	माता/पिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें।		
8.	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/ महाविद्यालय का नाम जहाँ वह अध्ययनरत है(प्रवेश तिथि दर्शायी जाए)		
9.	कक्षा जिसमें प्रवेश लिया		
10.	अध्ययनशाला/ महाविद्यालय को देय वार्षिक शुल्क राशि का ब्यौरा		
11.	क्या अध्ययनशाला/ महाविद्यालय से शुल्क मुक्ति/छात्रवृत्ति या अन्य सहायता दी जाती है? यदि हाँ तो बताएं कितनी? (अवश्य दर्शायें)		
12.	क्या किसी अन्य शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है? स्पष्ट उल्लेख करें।		

नोट:-आर्थिक सहायता समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य हैं।

आवेदक छात्र/छात्रा/पालक के हस्ताक्षर

कृ.पू.उ.

छात्र/छात्रा/पालक द्वारा घोषणा-पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त आवेदन में प्रविष्टियाँ सही एवं प्रमाणिक है। मैं.....विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय की कक्षाका/की नियमित छात्र/छात्रा होकर घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे नगद अथवा प्रार्थित सामग्री के रूप में अन्य किसी शासकीय/निजी संस्था/व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। विश्वविद्यालय से प्राप्त सहायता का मैं उसी के लिए उपयोग करूंगा/करूंगी। जिसके लिए आवेदन किया गया है। अपूर्ण अथवा गलत जानकारी देने पर विश्वविद्यालय द्वारा मेरे विरुद्ध की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मैं जवाबदार रहूंगा/रहूंगी तथा विश्वविद्यालय मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, जो मुझे बंधनकारी रहेगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(आवेदन का पूरा नाम)

विभागाध्यक्ष/संचालक/प्राचार्य द्वारा उक्त घोषणा का प्रमाणीकरण

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त छात्र/छात्रा.....जो कि कक्षा मैं इस विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत है। इन्होंने अध्ययनशाला/महाविद्यालय का वार्षिक शुल्क रु.....जमा करा दिया है, अन्य किसी स्रोत से आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। इन्हें अध्ययनशाला/महाविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की शुल्क मुक्ति नहीं दी गई है। प्रार्थित, सहायता का पात्र है, इसमें यदि कोई अपूर्ण अथवा गलत जानकारी दी गई तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी रहेगी। विश्वविद्यालय मेरे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा। प्रकरण विचारार्थ अनुशंसित है। इस सत्र में पूर्व में यह आवेदन अग्रेषित नहीं किया गया है।

दिनांक.....

विभागाध्यक्ष/संचालक/प्राचार्य के हस्ताक्षर सील सहित



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
छात्र दुर्घटना सहायता हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-2024

फोटो

क्र.	आवेदन का नाम	जानकारी
1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता/पालक का नाम एवं पता (स्थायी) दूरभाष नम्बर तथा मोबाईल नम्बर	
3.	पिता/पालक का व्यवसाय नौकरी सरकारी/गैर सरकारी स्पष्ट करें।	
4.	पिता/पालक के कार्यालय का पता	
5.	पिता/पालक की वार्षिक आय (तहसीलदार अथवा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी होने पर कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरित सील सहित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
6.	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/ महाविद्यालय का नाम जिसका वह नियमित छात्र हैं।	
7.	कक्षा का नाम	
8.	दुर्घटना का स्थान, समय एवं स्वरूप (पुलिस रिपोर्ट की प्रति विवरण सहित)	
9.	चोट का स्वरूप	
10.	अस्पताल का नाम, वार्ड क्रमांक, भर्ती एवं छुट्टी की दिनांक कब से कब तक, अस्पताल अधीक्षक के प्रमाण-पत्र सहित	
11.	ईलाज की संभावित अवधि तथा उसमें लगने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा।	
12.	यदि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो नगर निगम/नगर पालिका निगम का मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें	
13.	आवेदन का पता (वर्तमान एवं स्थायी) दूरभाष नम्बर तथा मोबाईल नम्बर	

नोट:- छात्र दुर्घटना सहायता समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु आवेदक / मृत्यु होने पर) अभिभावक/पालक को उपस्थित होना अनिवार्य हैं।

आवेदक छात्र/छात्रा/पालक के हस्ताक्षर

कृ.पू.उ.

छात्र/छात्रा/पालक द्वारा घोषणा-पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त आवेदन में प्रविष्टियाँ सही एवं प्रमाणिक है। मैं.....विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय की कक्षाका/की नियमित छात्र/छात्रा होकर घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे अन्य किसी शासकीय/निजी संस्था/व्यक्ति से किसी प्रकार की (1) अन्य सहायता प्राप्त नहीं हुई है। (2) विश्वविद्यालय से प्राप्त सहायता का किए गए आवेदन अनुसार चिकित्सालय के लिए ही उपयोग करूंगा/करूंगी। (दुर्घटना में मृत्यु होने पर कमांक 1 एवं 2 का प्रतिबंध नहीं रहेगा।) अपूर्ण अथवा गलत जानकारी देने पर विश्वविद्यालय द्वारा मेरे विरुद्ध की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मैं जवाबदार रहूंगा/रहूंगी तथा विश्वविद्यालय मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, जो मुझे बंधनकारी रहेगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(आवेदन का पूरा नाम)

विभागाध्यक्ष/संचालक/प्राचार्य द्वारा उक्त घोषणा का प्रमाणीकरण

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त छात्र/छात्रा.....जो कि कक्षा मैं इस विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं। इन्होंने अध्ययनशाला/महाविद्यालय का वार्षिक शुल्क रु.....जमा करा दिए हैं, को अन्य किसी स्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। इन्हें अध्ययनशाला/महाविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की शुल्क मुक्ति नहीं दी गई है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर उपर्युक्त प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रार्थित, चिकित्सकीय सहायता का पात्र है, इसमें यदि कोई अपूर्ण अथवा गलत जानकारी दी गई तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी रहेगी। विश्वविद्यालय मेरे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा। प्रकरण विचारार्थ अनुशंसित है। इस सत्र में पूर्व में यह आवेदन अग्रेषित नहीं किया गया है।

दिनांक.....

विभागाध्यक्ष/संचालक/प्राचार्य के हस्ताक्षर सील सहित



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
विकलांग छात्र सहायता हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-2024

फोटो

क.	आवेदन का नाम	जानकारी	रिमार्क
1	आवेदक का नाम		
2.	आयु (प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)		
3.	पिता/पालक का नाम		
4.	पिता/पालक का व्यवसाय नौकरी सरकारी/गैर सरकारी स्पष्ट करें।		
5.	पिता/पालक के कार्यालय का पता		
6.	पिता/पालक की वार्षिक आय (तहसीलदार अथवा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी होने पर कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरित सील सहित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)		
7.	आवेदक विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कब से निवासरत है?		
8.	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय का नाम जहाँ वह अध्ययनरत है(प्रवेश तिथि दर्शायी जाए)		
9.	कक्षा जिसमें प्रवेश लिया		
10.	शरीर का अवयव जो विकलांग है दाया/बायाँ एवं शासकीय विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।		
11.	अवयव विकलांग कौन से वर्ष में हुआ? विकलांगता का प्रतिशत?		
12.	अध्ययनशाला/ महाविद्यालय को देय वार्षिक शुल्क राशि का ब्यौरा		
13.	क्या अध्ययनशाला/ महाविद्यालय से शुल्क मुक्ति/छात्रवृत्ति या अन्य सहायता दी जाती है? यदि हाँ तो बताएं कितनी? (अवश्य दर्शायें)		
14.	आवेदन की गई राशि कितनी व किसलिए चाहिए एवं वह किस प्रकार अध्ययन में सहायक है?		
15.	क्या किसी अन्य शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है? स्पष्ट उल्लेख करें।		
16.	आवेदन का पूरा पता, दूरभाष नम्बर तथा मोबाईल नम्बर सहित		

आवेदक छात्र/छात्रा/पालक के हस्ताक्षर

कृ.पृ.उ.

छात्र/छात्रा/पालक द्वारा घोषणा-पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त आवेदन में प्रविष्टियाँ सही एवं प्रमाणिक है। मैं.....विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय की कक्षाका/की नियमित छात्र/छात्रा होकर घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे नगद अथवा प्रार्थित सामग्री के रूप में अन्य किसी शासकीय/निजी संस्था/व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। विश्वविद्यालय से प्राप्त सहायता का मैं उसी के लिए उपयोग करूंगा/करूंगी। जिसके लिए आवेदन किया गया है। अपूर्ण अथवा गलत जानकारी देने पर विश्वविद्यालय द्वारा मेरे विरुद्ध की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मैं जवाबदार रहूंगा/रहूंगी तथा विश्वविद्यालय मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, जो मुझे बंधनकारी रहेगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(आवेदन का पूरा नाम)

विभागाध्यक्ष/संचालक/प्राचार्य द्वारा उक्त घोषणा का प्रमाणीकरण

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त छात्र/छात्रा.....जो कि कक्षा मैं इस विश्वविद्यालय अध्ययनशाला/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, इन्होंने अध्ययनशाला/महाविद्यालय का वार्षिक शुल्क रु.....जमा कर दिया हैं, अन्य किसी स्त्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। इन्हें अध्ययनशाला/महाविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की शुल्क मुक्ति नहीं दी गई हैं। प्रार्थित,सहायता का पात्र है, इसमें यदि कोई अपूर्ण अथवा गलत जानकारी दी गई तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी रहेगी। विश्वविद्यालय मेरे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा। प्रकरण विचारार्थ अनुशंसित है। इस सत्र में पूर्व में यह आवेदन अग्रेषित नहीं किया गया है।

दिनांक.....

विभागाध्यक्ष/संचालक/प्राचार्य के हस्ताक्षर सील सहित